हिमाचल वन आधिकार मंच

himachalvanadhikar@gmail.com

Himachal Van Adhikar Manch, Village Nagan, Post Khadanaal, Tehsil Baijnath, Kangra 176115, Himachal Pradesh

सेवा में, मुख्यमंत्री महोदय

22 जुलाई 2019

हिमाचल प्रदेश सरकार

विषय: हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार कानून 2006 के तहत अधिकार धारकों के संरक्षण के लिए जरूरी पहल करने के बारे

माननीय म्ख्यमंत्री महोदय,

सबसे पहले, हम राज्य सरकार की सराहना करते हैं की पिछले 6 महीने में वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन के लिये ठोस कदम उठाये गये हैं, जो कि राज्य में बहुत ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। हम हिमाचल वन अधिकार मंच की तरफ से इस ज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान उन मुद्दों पर आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें इस समय आपकी तत्काल कार्यवाही की जरुरत है।

I. बेदखली पर सर्वोच्च न्यायालय का मुकदमा और लिप्पा (किन्नौर) के दावों की गलत नामंजूरी

- इस सन्दर्भ में हम आपका ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के CWP 109/2008 केस में 13 फरवरी 2019 के आदेश पर लाना चाहते हैं जिसमें, न्यायालय ने राज्यों को उन दावेदारों को बेदखल करने का आदेश दिया है जिनके दावों को जिला स्तरीय समिति द्वारा नामंजूर किया गया है।हालांकि, 28 फरवरी 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर रोक लगाई और सभी राज्य सरकारों को दावों की नामंजूरी करने की प्रक्रिया पर हलफनामा दर्ज करने को कहा।
- जबिक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अप्रेल 2018 में जमा िकये गये अन्तिम हलफनामे के अनुसार राज्य में 'शून्य' दावों को नामंजूर िकया गया था. इसके बाद दिसम्बर 2018 में, जिलास्तरीय समिति, िकन्नौर के तीन सरकारी सदस्यों द्वारा िलप्पा ग्राम सभा के 47 व्यक्तिगत वन अधिकारों को नामंजूर िकया गया था, जबिक तीन गैर-सरकारी सदस्यों ने इस निर्णय पर विस्तृत आपितयां लिप्पा वन अधिकार समिति द्वारा लिखित में दी गयीं थीं।
- यदि आदेश को ध्यान से परखें तो पता चलता है की नामंजूरी के आधार आधारहीन और झूठे ही नहीं बल्कि कानूनी रुप से भी गलत हैं। दावेदारों की अपील पर राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने जनवरी 2019 को मामले को जिलास्तरीय समिति को समीक्षा करने के लिये वापस भेजा। जिलाधीश किन्नौर ने, आदेश में बदलाव या समीक्षा करने से इनकार कर दिया। जून 2019 में राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने अपने अन्तिम निर्णय में कहा

कि " मामले पर चर्चा करते हुये, यह सामने आया कि जिला स्तरीय समिति के निर्णय पर समीक्षा करने के लिये कानून या नियम में प्रावधान नहीं है।"

- जिला स्तरीय समिति के सरकारी सदस्यों ने व्यक्तिगत दावों पर एक साथ बिना व्यक्तिगत दावों को जांचे नामंजूर कर दिया था। जबिक दावों के आंकलन से पता चलता है कि 47 दावेदारों में से अधिकांश दावेदारों ने 5 बिघा से कम भूमि व 3 दावेदारों ने निवास के लिये उपयोग में लायी जा रही भूमि पर दावे पेश किये। अधिकांश दावेदारों ने 2002 की भूमि नियमतिकरण नीति के तहत भी आवेदन किया हुआ था।
- ये ध्यान देने की बात है कि लाहौल में 73 व्यक्तिगत दावेदारों, जो कि किन्नौर के लिप्पा ग्राम सभा के दावेदारों के समान ही हैं, को 2017 में वहां की DLC ने वन अधिकार कानून के तहत पट्टे जारी किये थे। दोनों समितियों के सरकारी सदस्यों के बीच अधिनियम के प्रावधानों की समझ में एक बड़ा विरोधाभास या अंतर है जिसे तत्काल संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक दावेदारों को इसका खामियाजा न उठाना पड़े। अगर लिप्पा के निर्णय के आधार को सही पाया जाता है तो फिर तो हिमाचल प्रदेश में वन अधिकार कानून के क्रियान्वयन का कोई भविष्य नहीं है।

हमारी मांग: इस मामले में उचित निर्णय लेने व स्पष्टता पाने के लिये, राज्य सरकार को निम्न कदम उठाने चाहिये:

- जिला स्तरीय समिति के निर्णय की समीक्षा व जांच करने के लिये एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन कर नामंजूरी के आधारों की वन अधिकार कानून के प्रावधान के अनुसार कानूनी वैधता की जांच होनी चाहिए (ऐसा पहले विभिन्न राज्यों में किया जा चुका है)
- जब तक समीक्षा और अपील की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक इन मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जाना चाहिए
- 47 दावेदारों के खिलाफ शुरु की गई बेदखली की प्रक्रिया को रोका जाये क्यों कि यह
 न्यायालय के 28 फरवरी को स्नाये आदेश ले खिलाफ है
- o लिप्पा के सामुदायिक वन अधिकार जिसको अक्टूबर 2018 में मंजूरी मिल गयी थी उसका पट्टा जिला स्तरीय समिति द्वारा आज तक जारी नहीं किया गया - इसे जल्द से जल्द जारी किया जाए

II. FRA की धारा 3(2) के तहत विकास कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट के दखल से जुड़ी गलत फेहिमयां:

- हिमाचल में जहां कानून की धारा 3(1) में दिए व्यक्तिगत (खेती, रिहाइश) और सामूहिक अधिकारों को ले कर सरकार आगे कदम बढ़ाने से कतरा रही है वहीं दूसरी तरफ इसी कानून की धारा 3(2) के अंतर्गत पात्र दावेदारों के लिए, सरकारी यूज़र एजेंसी के 13 प्रकार के विकास कार्यों के अधिकार को तेज़ी से लागू किया जा रहा है. इसके चलते 1700 से भी अधिक स्थानीय विकास परियोजनाओं से लोगों को फायदा मिला है.
- 11 मार्च 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 के गोदावार्मन केस (CWP 202/1995) की एक याचिका (IA 3480/2014) में हिमाचल राज्य में FRA की धारा 3(2) के अंतर्गत वन भूमि के

इस्तेमाल पर रोक लगाई. जबिक कोर्ट का मामला वन संरक्षण कानून 1980 के तहत बड़ी परियोजनाओं से वनों के दोहन को रोकने को ले कर शुरू हुआ और हिमाचल में वन विभाग द्वारा पेड़ों की छंगाई (सिल्विकल्चर) के लिए ग्रीन फेल्लिंग के बैन को हटाने बारे था.

- इस मामले में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए राज्य में वन अधिकार कानून की धारा 3(2) की आवश्यकता पर जोर देते हुए इस इस रोक को हटाने की मांग की. 3 मई सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें ढील देते हुए 38 हेक्टेयर भूमि पर 89 परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की और FRA के तहत भविष्य की कार्य योजना मांगी थी.
- परन्तु अब हिमाचल में 11 मार्च के अंतरिम फैसले की गलत व्याख्या करते हुए वन विभाग के अधिकारियों द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सुप्रीमे कोर्ट ने वन अधिकार कानून पर ही रोक लगा दी है और अब डी.एफ.ओ नई परियोजनाएं मंज़ूर नहीं कर सकते. यह सरासर गलत है.

हमारी मांग: इस मामले से जुड़ी गलत फेहिमयों को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से सभी विभागों और अधिकारियों को स्पष्टीकर्ण पत्र जारी करना होगा जिसमें यह बात साफ़ तौर पर की जाय कि FRA की धारा 3(2) पर पूर्ण रोक नहीं लगी है और इस मामले का कनून की धारा 3(1) से कोई लेना देना नहीं है और व्यक्तिगत और सामूहिक वन अधिकार की मान्यता की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगी है.

III. वन अधिकार कानून की हिमाचल की जनता के लिए आवश्यकता

क्योंकि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य का दो तिहाई भौगोलिक क्षेत्र कानूनी रूप से 'वन भूमि में दर्ज है और इस भूमि पर कम से कम 90% जनता अपनी आजीविका के लिए निर्भर है इसलिए वन अधिकार कानून की आज हिमाचल को सख्त जरुरत है. 1980 के वन संरक्षण कानून के बाद राज्य के पास वन भूमि के हस्तान्त्रण को ले कर कोई भी कानून बनाने की ताकत नहीं रही. इसकी वजह से हिमाचल जैसे राज्य में जहां वन भूमि का क्षेत्रफल अधिक है वहां:

- 1. स्थानीय विकास के छोटे मोटे कार्य जैसे पानी, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी वन हस्तान्त्रण की प्रक्रिया जटिल हो गयी
- 2. राज्य में लाखों परिवार जो खेती और रिहाइश के लिए कई सालों से वन भूमि पर बिना पट्टे के काबिज हैं, ऐसे परिवारों को 2002 की नियमितीकरण नीति से राहत नहीं मिल पायी. इस सन्दर्भ में 6 अगस्त 2008 को मुख्य सचिव (जन जातीय विभाग) के निर्देश पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि दावों के सत्यापन में 2002 के फार्म को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है.
- 3. कई ऐसे परिवार जिनको नौतोड़ की ज़मीन मिल गयी पर पट्टा मिलना बाकी रह गया था उनके कब्ज़े 'नाजायज कब्ज़े' की श्रेणी में जमा बंदी में दर्ज हैं और आज इन पर बेदखली का खतरा मंडरा रहा है.
- 4. अपने गुजर बसर के लिए वन भूमि पर लकड़ी, पत्ती, घास, जड़ी बूटी, खड़ड, नाले, रेत बजरी आदि के इस्तेमाल के लिए जो रियायतें बंदोबस्ती के समय समुदायों को मिली थी उनको सरकार द्वारा बिना NOC और मुआवज़े के ले लिया जाता रहा

हमारी मांग: इन सभी संस्याओं का हल वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों में है. लोगों को वन भूमि पर व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों को मान्यता देने से उनकी आजीविका के साधन सुरक्षित होंगे और वनों के दोहन पर भी रोक लग सकती है. इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम अपील करते हैं कि सरकार यह कानून जल्द से जल्द लागू करने के लिए जरूरी कदम उठाये.

आप का आभार प्रकट करते ह्ए

निवेदक:

अक्षय जसरोटिया, संयोजक, हिमाचल वन अधिकार मंच उमा महाजन, सदस्य, हिमाचल वन अधिकार मंच प्रकाश भंडारी, सदस्य, हिमाचल वन अधिकार मंच

प्रति: सचिव, जन जातीय मंत्रालय, नई दिल्ली